अति–आवश्यक / फैक्स द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 2(1)10/विधि/प्रमुवस/10698 से 10715 दिनांक: 26-12-13

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा
वन्यजीव, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर
बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/बनास परियोजना, जयपुर/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर/वन बन्दोबस्त जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर।

विषयः–माननीय उच्चतम न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित प्रकरणों की त्रिमाही सूचना भिजवाने के क्रम में।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र पृष्ठांकन संख्या 10299–10320 दिनांक 10.12.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न कर माननीय उच्चतम न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर/जोधपुर, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जयपुर/जोधपुर एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में नियुक्त प्रत्येक प्रभारी अधिकारी द्वारा त्रिमाही सूचना निर्धारित प्रपत्र में अलग–अलग न्यायालयवार तैयार कर निर्धारित तिथी तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था। माह नवम्बर 2013 तक की सूचना 20 दिसम्बर 2013 तक चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अति. मुख्य सचिव(वन), राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को आयोजित बैठक में उक्त सूचनाओं पर भी विचार–विमर्श किया जावेगा। अतः आपके अधीनस्थ पदस्थापित प्रभारी अधिकारियों से सूचना तैयार करवाकर उक्त बैठक में साथ लेकर उपस्थित होने का श्रम करें।

भवदीय,

(पी.एस.छोलक)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर।